

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2537] No. 2537] नई दिल्ली, बुधवार, दिसंबर 22, 2010/पौष 1, 1932

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 22, 2010/PAUSHA 1, 1932

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2010

का.आ. 2988 (अ).—केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि बिनौले का उत्पादन, गुणवत्ता, वितरण तथा अन्य पहलुओं को विनियमित करने के लिए लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है;

और बिनौला एक ऐसी वस्तु है जिसके संबंध में संसद को भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की तीसरी सूची – समवर्ती सूची की प्रविष्टि 33 के आधार पर विधि बनाने की शक्ति है;

अतः अब आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 (1955 का 10) की धारा 4 के साथ पठित धारा 2क की उप धारा(2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राज्य सरकारों के परामर्श से उक्त अधिनियम की अनुसूची में निम्नितिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 (1955 का 10) की अनुसूची में, क्रम संख्या (7) पर, मद संख्या (iii) के पश्चात् निम्नलिखित मद जोड़ी जाएगी, अर्थात :-

''(iv) बिनौला''

[फा. सं. 15/1/2007-ई सी आर एण्ड ई] राकेश कक्कड, अपर सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBTION (Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd December, 2010

S.O. 2988(£).—WHEREAS the Central Government is satisfied that it is necessary to do so in the public interest to regulate the production, quality, distribution and other aspects of cotton seed;

AND WHEREAS cotton seed is a commodity in respect of which Parliament has power to make laws by virtue of entry 33 of List-III-Concurrent List of the Seventh Schedule to the Constitution of India;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 2A, read with section 4, of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) and in consultation with the State Governments, hereby makes the following amendments in the Schedule to the said Act, namely:-

In the Schedule to the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), at serial number (7), after item (iii), the following item shall be added, namely:-

"(iv) cotton seed".

[File No. 15/1/2007-ECR&E] RAKESH KACKER, Addl. Secy.